एक नजर में

भावांतर योजना में सोयाबीन का मॉडल रेट 4207 रुपए जारी

खण्डवा। भावांतर योजना 2025 के अंतर्गत सोयाबीन विक्रेता किसानों के लिए मॉडल रेट नियमित रूप से जारी किया जा रहा है। गुरुवार 11 दिसंबर को 4207 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है। यह मॉडल रेट उन किसानों के लिए है जिन्होंने अपनी सोयाबीन की उपज मंडी प्रांगणों में विक्रय की है। इस मॉडल रेट के आधार पर ही भावांतर की राशि की गणना की जाएगी। मॉडल रेट और न्यूनतम समर्थन मूल्य के भावांतर की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। उल्लेखनीय है कि सोयाबीन का पहला मॉडल रेट 7 नवंबर को 4020 रुपए प्रति क्विंटल जारी किया गया था। इसी तरह 8 नवंबर को 4033 रुपए, 9 और 10 नवंबर को 4036 रुपए, 11 नवंबर को 4056 रुपए, 12 नवंबर को 4077 रुपए, 13 नवंबर को 4130 रुपए, 14 नवंबर को 4184 रुपए, 15 नवंबर को 4225 रुपए, 16 नवंबर को 4234 रुपए, 17 नवंबर को 4236 रुपए, 18 नवंबर को 4255 रुपए, 19 नवंबर को 4263 रुपए, 20 नवंबर को 4267 रुपए, 21 नवंबर को 4271 रुपए, 22 नवंबर को 4285 रुपए, 23 एवं 24 नवंबर को 4282 रुपए, 25 नवंबर को 4277 रुपए, 26 नवंबर को 4265 रुपए, 27 नवंबर को 4252 रुपए, 28 नवंबर को 4260 रुपए, 29 नवंबर को 4240 रुपए और 30 नवंबर को 4237 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया था। इसी तरह 1 दिसंबर को 4239 रुपए, 2 दिसंबर को 4235 रुपए, 3 दिसंबर को 4240 रुपए, 4 दिसंबर को 4235 रुपए, 5 दिसंबर को 4230 रुपए, 6 दिसंबर को 4217 रुपए, 7 दिसंबर को 4222 रुपए, 8 दिसंबर को 4219 रुपए, 9 दिसंबर को 4217 रुपए और 10 दिसंबर को 4210 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी हुआ था। राज्य सरकार की गारंटी है कि किसानों को हर हाल में सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य की 5328 रुपए प्रति क्विंटल की राशि मिलेगी।

13 दिसंबर को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत

खण्डवा। नेशनल लोक अदालत 13 दिसंबर शनिवार को आयोजित होगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पियूष भावे ने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, व्यवहारिक (सिविल प्रकरण) धारा 138 एन.आई. एक्ट प्रकरण मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, पारिवारिक प्रकरण, समझौता योग्य श्रम प्रकरण विद्युत चोरी के प्रकरण का निराकरण आपसी सहमति के आधार पर किया जायेगा तथा विद्युत विभाग, बैंक, नगर पालिक, बी.एस.एन.एल. आदि के पूर्व वाद प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किया जायेगा। पूर्व वाद प्रकरणों में विद्युत विभाग, जलकर तथा संपत्ति कर के प्रकरणों में लोक अदालत के दिन निराकरण होने पर विभाग द्वारा नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री भावे ने नागरिकों से अपील की है कि नेशनल लोक अदालत में अपने प्रकरणों का आपसी सुलह व समझौते के आधार पर निराकरण करवा कर शीघ्र व सुलभ न्याय प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खंडवा व तहसील विधिक सेवा समिति हरसूद एवं तहसील न्यायालय पुनासा में संपर्क कर सकते हैं।

प्रभारी मंत्री श्री लोधी 13 दिसंबर को जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक लेंगे

खंडवा। प्रदेश सरकार के पर्यटन, संस्कृति एवं धार्मिक न्यास विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं खंडवा जिले के प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी 13 दिसंबर को खंडवा में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक लेंगे। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री श्री लोधी प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा भी करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रभारी मंत्री श्री लोधी 13 दिसंबर को दोपहर 12:30 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नर्मदा घाटी विकास विभाग, जल संसाधन विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग के तहत प्रचलित निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। बैठक में राजस्व विभाग के तहत नामांतरण,बँटवारा,सीमांकन से संबंधित लंबित प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा भी की जाएगी। बैठक में प्रभारी मंत्री श्री लोधी जिले में बस्ती विकास योजना, वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित आवेदनों के निराकरण की स्थिति, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण की प्रगति, जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति, वाहनों के फिटनेस एवं सड़क सुरक्षा, किसानों को विद्युत प्रदाय, खाद्य पदार्थ में मिलावट की रोकथाम के उपाय,उर्वरक एवं बीज की आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भी समीक्षा करेंगे।

श्री मंसारे मप्र. एनजीओ पब्लिक फोरम के सर्व सहमति से प्रदेश अध्यक्ष मनोनित

खंडवा। प्रदेश भर के स्वयं सेवी संस्थाओं, एनजीओ की बैठक रचना शर्मा इंदौर के संयोजन में एनजीओ प्रतिनिधि मंडल की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। जिसमें प्रदेश में एक नया फोरम गठित कर सर्व सहमति से केबी मंसारे को प्रदेश अध्यक्ष मनोनित किया गया है। मप्र. एनजीओ पब्लिक फोरम जो स्वयं सेवी संगठन का लीड एनजीओ होगा। संस्था का कार्य ग्राम स्तर पर आम जनता के बीच काम कर रही संस्थाओं की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने और जन सहयोग से जनहित के कार्यो जैसे पर्यावरण संरक्षण,जल संग्रहण,स्वास्थ्य,महिला बाल विकास,शिक्षा,स्वरोजगार संवैधानिक अधिकार,उपभोक्ता जागरूकता अभियान, मानव अधिकार आदि कार्यों में इस फोरम की भूमिका होगी। सीएसआर फंड तथा शासन के समस्त विभागों में एनजीओ की भूमिका के लिए कार्य किए जाएंगे। बैठक के दौरान राजकुमार विश्वकर्मा, बरखा ठाकरे भोपाल, ज्योति यदुवंशी सिहोर, माधुरी श्रीवास्तव,नारायण फरकले,समीष्टा तोमर खंडवा, शुभम निरवेल बडवानी, मोतीलाल अहिरवार जबलपुर,कृष्णपाल सिंह राजपूत खरगोन,प्रो.डा.संजय कोचक खरगोन, तुलिका पचोरी बैतूल, डा.प्रतिभा मंसारे भीकनगाव, डा.श्वेता चौधरी, श्वेता गोयल, दीपमाला बामने, अमन होरा इंदौर, महेंद्र जैन बुरहानपुर, संत कुमार ठाकुर मंडला आदि उपस्थित थे।

तीन पुलिया के पास स्थित गुमटियों को हटवाकर मार्ग चौड़ीकरण कराने के निर्देश

कलेक्टर गुप्ता ने तीन पुलिया ओवर ब्रिज निर्माण स्थल का जायजा लिया

खंडवा। कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने गुरुवार शाम को खंडवा शहर के तीन पुलिया, टैगोर पार्क और आनंद नगर क्षेत्र में अधिकारियों के साथ पहुंच कर ओवर ब्रिज निर्माण स्थल का जायजा लिया। भ्रमण के दौरान कलेक्टर श्री गुप्ता ने नगर निगम आयुक्त को तीन पुलिया के पास स्थित नाले का गहरीकरण करवाने तथा तीन पुलिया के पास स्थित गुमटियों को हटवाकर मार्ग चौड़ीकरण करवाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि तीन पुलिया के पास मार्ग का चौड़ीकरण किया जाए। कलेक्टर श्री गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ट्रैफिक प्लानिंग एक्सपर्ट को मौका दिखाकर उनकी सलाह अनुसार आगे की कार्यवाही की जाए ताकि ओवर ब्रिज का कार्य पूर्ण होने पर और यातायात शुरू होने पर सड़क दुर्घटनाओ की आशंका न रहे। इस दौरान नगर निगम आयुक्त प्रियंका राजावत और सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर सिंह के अलावा लोक निर्माण विभाग तथा यातायात पुलिस के अधिकारी भी उनके साथ थे।

'मिशन अमृत संचय' के तहत स्वैच्छिक संगठनों की कार्यशाला

पानी अनमोल है, सभी मिलकर जल संरक्षण के लिए प्रयास करें : कलेक्टर गुप्ता

नवभारत न्यूज

खण्डवा। कलेक्टर ऋषव गुप्ता के निर्देशन में खण्डवा जिले में 'मिशन अमृत संचय' अभियान के तहत भू-जल संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। नदी नालों में बहते पानी को बोरी बंधान के माध्यम से रोका जा रहा है। साथ ही सभी शासकीय व निजी पक्के भवनों की छतों पर रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए अभियान जारी है। इसी क्रम में गुरूवार को जन अभियान परिषद के कार्यकर्ताओं एवं स्वैच्छिक समाजसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों की एक दिवसीय कार्यशाला कलेक्ट्रेट सभाककक्ष में आयोजित की गई।

कलेक्टर श्री गुप्ता ने इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए कहा कि हर वर्ष भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। हमें आज से ही पानी बचाने के लिए विशेष प्रयास करना होंगे। पानी बचाने की दिशा में हम अभी नहीं जागे, तो बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी एनजीओ के प्रतिनिधि व जन अभियान परिषद के कार्यकर्ता गांव-गांव में पानी का महत्व बतायें और सभी से वर्षा का पानी बचाने की अपील करें। जो व्यक्ति पानी का अपव्यय करता हुआ पाया जाए, उसे रोकने व टोकने की कार्यवाही अवश्य की जाए।

कलेक्टर श्री गुप्ता ने उपस्थित एनजीओ के प्रतिनिधि व जन अभियान परिषद के कार्यकर्ताओं से अपील की कि सबसे पहले वे अपने घरों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवायें और फिर अपने गांव व शहर के अन्य लोगों को भी उनके घरों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने के लिए प्रेरित करें।

इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर्स ने एनजीओ के प्रतिनिधि व जन अभियान परिषद के कार्यकर्ताओं को बोरी बंधान बनाने, डगवेल रिचार्ज बनाने, हैंड पंपों के आसपास सोखता गड्ढे बनाने,मेढ़ बंधान,नाला गहरीकरण कंटूर ट्रेंच, खेत,तालाब और परकोलेशन टैंक जैसी जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण के संबंध में भी प्रशिक्षण के दौरान जानकारी दी गई।

पानी बचाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं

कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने इस दौरान कहा कि हमें पानी का मोल पहचानना होगा। पानी बचाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी को मिलकर पानी बचाना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार हमारे लिए पानी की टंकी बना सकती है और पाइपलाईन बिछा सकती है, लेकिन पानी का उत्पादन कोई नहीं कर सकता। इसलिए हमें पानी बचाना ही होगा। उन्होंने कहा कि हम जितना पानी खर्च करते हैं, उतना पानी बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। कलेक्टर श्री गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि जिले की हर पक्की छत से वर्षा का पानी भूजल संवर्धन के उपयोग में आए, यह अगले 1 वर्ष में हमें सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि अमृत संचय अभियान के तहत हमें जिले के सभी शासकीय व निजी भवनों की पक्की छतों पर रुफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाना है, ताकि वर्षा के पानी की एक-एक बूंद जमीन में समाकर भूजल स्तर को बढ़ाए।

असामाजिक तत्वों के विरुद्ध की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

नवभारत न्यूज

खंडवा। जिले के विभिन्न थानों मे 36 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। धारा 126/135 बीएनएसएस के तहत 20 प्रकरणों मे 20 अनावेदकों के विरुद्ध, धारा 170 बीएनएसएस के तहत 10 प्रकरणों मे 16 अनावेदकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जिले में 34 अनावेदकों के विरुद्ध बाउंड ओवर की कार्रवाई की गई है।

पुलिस अधीक्षक खंडवा मनोज कुमार राय के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) राजेश रघुवंशी व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) महेंद्र तारणेकर के मार्गदर्शन में 14 गिरफ़्तारी, 43 जमानती वारंट, 82 समन जिले के विभिन्न थानो के द्वारा अलग-अलग न्यायालय के तामील किये गए।

अवैध शराब बिक्री करने वालो के विरुद्ध थाना पिपलोद के आरोपी दिनेश पिता मंगु चौहान उम्र 35 वर्ष नि. रामपुरा के कब्जे से 10 लीटर कच्ची हाथ भट्टी महुवा शराब जप्त कीमती 1500/-रूपए की जप्त की गई। उक्त आरोपी के विरुद्ध धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

थाना किल्लौद के आरोपी सेम्पू उर्फ ट्राय उर्फ रामसिंग पिता शिवराम माली उम्र 24 साल निवासी ग्राम भवरली माल के कब्जे से एक सट्टा अंक पर्ची एवं एक लीड पेन व नगदी 510 रूपए जप्त किया गया। उक्त आरोपी के विरुद्ध धारा 4(क) सट्टा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

विशेष अभियान के तहत जिला खंडवा मे समस्त थाना प्रभारियों द्वारा यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले दो पहिया, तीन पहिया एवं चार पहिया वाहन चालको के विरुद्ध बिना नंबर प्लेट,तीन सवारी ,बिना हेलमेट,सीटबेल्ट न लगाने वाले,तेज गति, बिना एचएसआरपी, बिना वैध बीमा वाले वाहनों तथा अन्य यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले कुल 78 वाहन चालकों के विरुद्ध एम.व्ही. एक्ट के तहत कार्यवाही की गई एवं समन शुल्क 35100/-रु.वसूल किए गए है।

कवि बनना है तो पहले लिखने और पढ़ने की आदत डालें सभी विद्यार्थी: प्रो विकास शर्मा

नवभारत न्यूज

खंडवा। जब ज्यादा पीड़ा होती है तभी श्रेष्ठ कविता का प्रस्फुटन होता है। गद्य लिखना कठिन है और पद्य लिखना आसान। गद्य का संबंध मस्तिष्क से है जबकि पद्य का संबंध हृदय से है। कविता लिखने के लिए शिक्षित होना आवश्यक नहीं है। कबीर, शेक्सपियर कहीं पढ़ने नहीं गए पर आज सारा संसार उन्हें पढ़ता है। साहित्य में व्याकरण की नहीं वरन भाव की प्रमुखता होती है। मैंने विद्यार्थी जीवन में अपने खट्टे मीठे अनुभव को डायरी में लिखने की आदत डाली और इस आदत ने आज मुझे साहित्यकार बना दिया। आप विद्यार्थी भी यदि कवि बनना चाहते हैं तो पढ़ने और लिखने की आदत डालें। अपने जीवन के अच्छे-बुरे अनुभवों को डायरी में लिखें। श्रेष्ठ साहित्यकारों की पंक्तियों को कंठस्थ करें। किताबें खरीदने की आदत डालें और ध्यान रहे कि साहित्यकार की जवाबदारी है कि समाज देश में कुछ भी गलत होता देखें तो इसके विरुद्ध अवश्य लिखें। समाज का दिशा दर्शन करें। इतिहास को ज्यों का त्यों लिखने वाला इतिहासकार होता है लेकिन भाव की पुष्टता के लिए इतिहास को भी जो संशोधित कर लिख दे वह साहित्यकार होता है।

उक्त विचार प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेंस, श्री नीलकण्ठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खण्डवा में दिनांक 11/12/2025 को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष तथा अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार प्रो विकास शर्मा ने महाविद्यालय आयोजित 'मीट द आथर' कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में विद्यार्थियों के समक्ष व्यक्त किये।

कार्यक्रम प्रभारी प्रो सीमा शुक्ला ने बताया कि संस्था प्राचार्य डॉ सोमपाल सिंह के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में एक बड़े साहित्यकार का महाविद्यालय में आना पूर्णतया विद्यार्थियों के हित में रहा। इस अद्वितीय अवसर का लाभ उठाते हुए विद्यार्थियों ने व्याख्यान पश्चात साहित्य, शिक्षा के साथ-साथ कैरियर निर्माण में साहित्य की भूमिका जैसे विषयों पर खुलकर प्रश्न पूछें, जिनका यथोचित उत्तर प्रो विकास शर्मा ने दिये। कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वागत भाषण प्रभारी प्राचार्य डॉ रेखा गुंजन ने दिया। कार्यक्रम का संचालन छात्रा आफरीन ने किया। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक डॉ विनय जैन ने आभार प्रकट किया। कार्यक्रम के अंत में प्रो विकास शर्मा ने अपनी उत्कृष्ट कविताओं से सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।

मोतियाबिंद के 93 मरीजों को नि:शुल्क सर्जरी के लिए इंदौर भेजा

नवभारत न्यूज

खण्डवा। राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा पंधाना विकासखण्ड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पंधाना, पुनासा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुलगांव, विकासखण्ड हरसूद के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हरसूद में निशुल्क नेत्र जाँच शिविर लगाकर मरीजों का नेत्र परीक्षण किया गया।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि शिविर में 308 मरीजों की आंखों की जांच के बाद मोतियाबिंद सर्जरी के लिए चयनित इन मरीजों में से 93 को नि:शुल्क ऑपरेशन के लिए शंकरा नेत्रालय व चौइथराम नेत्रालय इन्दौर भेज दिया गया है।

ग्राम पंचायत रायपुर में ग्रामीणों ने श्रमदान कर बनाया 'बोरी बंधान'

नवभारत न्यूज

खालवा। खण्डवा जिले में कलेक्टर ऋषव गुप्ता के निर्देशन में "मिशन अमृत संचय" अभियान के तहत जल संरक्षण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। इसके तहत नदी नालों में बहते पानी को रोककर आसपास के क्षेत्र का जलस्तर बढ़ाने के उद्देश्य से गांव-गांव में बोरीबंधान संरचनाएं बनाई जा रही हैं।

इसी क्रम में बुधवार को खालवा विकासखण्ड में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा ग्राम पंचायत रायपुर में पाटाखाली नाले पर श्रम दान कर बोरी बंधान बनाया गया।

यह कार्यक्रम नवांकर संस्था भूमि फाउंडेशन समिति तथा ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति रायपुर के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नवांकुर संस्था से अर्जुन पवार और प्रस्फुटन समिति से दीपक यादव, ग्रामीणजन एवं सीएमसीएलडीपी कोर्स के विद्यार्थी उपस्थित थे।

बच्चों को वितरित किए गर्म वस्त्र व स्टेशनरी

नवभारत न्यूज

खंडवा। बढ़ती सर्दी के दौरान जरूरतमंदों तक गर्माहट पहुंचाने के उद्देश्य से जय भोलेनाथ ग्रुप लगातार सेवा कार्यों में सक्रिय है। इस वर्ष भी ग्रुप ने शिव मंदिर सभा कक्ष में शरद पूर्णिमा पर्व से लगातार चलने वाले गर्म वस्त्र वितरण अभियान शुरू किया।

इसी कड़ी में ग्रुप के सदस्यों ने दिव्यांग बच्चों के आश्रम का दौरा किया और वहां मुख-बधिर बच्चों के साथ एक संवेदनाओं भरी शाम बिताई। कार्यक्रम में लगभग 35 दिव्यांग बच्चों को गर्म टोपे, मफलर और अन्य गर्म वस्त्र प्रदान किए गए।

सदस्यों ने बच्चों को गर्म कपड़े पहनाकर उनकी आवश्यकताओं को करीब से समझा और इनके साथ आत्मीय संवाद किया। बच्चों की शिक्षा में सहयोग के लिए पेन, पेंसिल और अन्य स्टेशनरी सामग्री भी वितरित की गई। बच्चों के लिए खास तैयार किए गए स्वल्पाहार में जलेबी, बिस्किट, चॉकलेट और कचोरी शामिल थे, जिन्हें बच्चों ने खुशी-खुशी ग्रहण किया। आश्रम में काम करने वाले स्टाफ को भी आवश्यक सामग्री भेंट की गई।

सेवा कार्यक्रम आयोजित किया

संस्था के संरक्षक मनोहर शामनानी ने कहा कि सेवा, संवेदनशीलता और मानवता तब सजीव होती है जब समाज अपने सबसे कमजोर वर्गों की मदद करता है। इसी भावना से यह सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्रुप ने गत सप्ताह भी आशाधाम में निशक्तजनों को गर्म वस्त्र,स्वल्पाहार और जरूरी खाद्य सामग्री वितरित की थी।

इस सेवा कार्यक्रम में पूजा चौहान, ललिता पाटीदार, ज्योति चौहान, भाव्या साधवानी, सरिता पाटीदार, कोमल होतवानी सहित अन्य सदस्य सक्रिय रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम में दो नए सेवादार जोड़े गए, सरिता पाटीदार और ललिता पाटीदार का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। जय भोलेनाथ ग्रुप के सदस्य बताते हैं कि यह सेवा अभियान लगातार जारी रहेगा। अगले सप्ताह पदम नगर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में छोटे बच्चों को टोपे, बनियान और मोजे वितरित किए जाएंगे ताकि सर्दी से बचाव हो सके। आश्रम प्रबंधन ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की मानवीय गतिविधियाँ न केवल जरूरतें पूरी करती हैं,बल्कि दिव्यांग बच्चों के मनोबल को भी बढ़ाती हैं। यह संवेदनाओं से भरी शाम बच्चों के जीवन में खुशियों के नए रंग भरने वाली साबित हुई।

कार्रवाई — मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-92 अन्तर्गत

वसूली राशि जमा नहीं कराने पर तत्कालीन सरपंच व सचिवों के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी

नवभारत न्यूज

खंडवा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर नागार्जुन गौड़ा ने बताया कि ग्राम पंचायतों में तत्कालीन सरपंच एवं सचिवों द्वारा वसूली राशि जमा नहीं कराने के कारण तत्कालीन सरपंच एवं सचिवो के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किये गये हैं।

उन्होंने बताया कि जनपद पंचायत पंधाना अन्तर्गत ग्राम पंचायत गोडवाडी में वर्ष 2021-2022 में स्वीकृत सी.सी. रोड निर्माण राधेलाल के घर से सुनिल पाचोली के घर तक एवं नाली निर्माण बिहारी के घर से राकेश घर तक कार्य नहीं कराने के कारण ग्राम पंचायत गोडवाडी की तत्कालीन सरपंच संगीताबाई एवं तत्का. सचिव कोमलराम सांगुले के विरूद्ध म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 अन्तर्गत दिनांक 13.02.2024 को राशि रू. 603000/- का वसूली आदेश पारित कर वसूली राशि जमा कराने हेतु आदेशित किया गया था, लेकिन सरपंच एवं सचिव द्वारा वसूली राशि जमा नही करायी गयी है। अतः तत्कालीन सरपंच संगीताबाई एवं तत्का. सचिव कोमलराम सांगुले ग्राम पंचायत गोंडवाडी के विरूद्ध मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-92 अन्तर्गत गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।

इसके अलावा जनपद पंचायत पंधाना अन्तर्गत ग्राम पंचायत इस्लामपुर में मनरेगा योजनान्तर्गत कार्यों में अनियमितता बरतने के कारण ग्राम पंचायत इस्लामपुर की तत्कालीन सरपंच रामईबाई, तत्का.सचिव मधु साकले एवं ग्राम रोजगार सहायक मुशर्रफ मिया के विरूद्ध म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 अन्तर्गत दिनांक 28.03.2024 को राशि रू. 202458/- का वसूली आदेश पारित कर वसूली राशि जमा कराने हेतु आदेशित किया गया था, लेकिन सरपंच, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक द्वारा वसूली राशि जमा नही करायी गयी है। अतः तत्कालीन सरपंच रामईबाई, तत्का. सचिव मधु साकले एवं ग्राम रोजगार सहायक मुशर्रफ मिया ग्राम पंचायत इस्लामपुर के विरूद्ध मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-92 अन्तर्गत गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।

इसी तरह जनपद पंचायत पंधाना अन्तर्गत ग्राम पंचायत पाचम्बा में वर्ष 2021-22 में 15 वॉ वित्त आयोग से स्वीकृत नाली निर्माण माताजी मंदिर से अनूपसिंह की चक्की की ओर एवं सी.सी. रोड निर्माण इंदिरा आवास से आगंनवाडी भवन की ओर कार्य नही कराने के कारण ग्राम पंचायत पाचम्बा के तत्कालीन सरपंच अशोक चौहान एवं तत्का सचिव मधु साकले के विरूद्ध म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 अन्तर्गत दिनांक 01.03.2024 को राशि रू. 325000/- का वसूली आदेश पारित कर राशि जमा कराने हेतु आदेशित किया गया था, लेकिन सरपंच एवं सचिव द्वारा वसूली राशि जमा नही करायी गयी है। अतः तत्कालीन सरपंच अशोक चौहान एवं तत्का. सचिव मधु साकले के विरुद्ध मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-92 अन्तर्गत गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।

इसी तरह जनपद पंचायत पंधाना अन्तर्गत ग्राम पंचायत भिलाईखेडा में पंच परमेश्वर योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 में स्वीकृत सी.सी. रोड छन्दुलाल पडल्या के घर से चंपालाल के घर तक कार्य पर राशि आहरित कर कार्य नहीं कराने के कारण ग्राम पंचायत भिलाईखेडा की तत्कालीन सरपंच कमलाबाई के विरूद्ध म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 अन्तर्गत दिनांक 02.11.2023 को राशि रू. 40000/- का वसूली आदेश पारित किया गया था। लेकिन सरपंच द्वारा वसूली राशि जमा नहीं करायी गयी है। अत: तत्कालीन सरपंच कमलाबाई ग्राम पंचायत भिलाईखेडा के विरूद्ध मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-92 अन्तर्गत गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।

इसी प्रकार जनपद पंचायत पंधाना अन्तर्गत ग्राम पंचायत चिचखेडा में वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में स्वीकृत सी.सी. रोड बैनीराम के घर से मेन रोड तक, पक्की नाली निर्माण सुखराम नत्थू के घर से रशीद के घर तक एवं पक्की नाली निर्माण दयाराम नत्थू के घर से फरीज काजू के घर तक कार्य नहीं कराने के कारण उक्त की राशि रू. 137961 की वसूली हेतु तत्कालीन सरपंच साबुद्दीन करीम खान ग्राम पंचायत चिचखेडा के विरूद्ध म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 अन्तर्गत दिनांक 28.03.2024 को वसूली आदेश पारित किया गया था। लेकिन सरपंच द्वारा वसूली राशि जमा नही करायी गयी है। अत: तत्कालीन सरपंच साबुद्दीन करीम खान ग्राम पंचायत चिचखेडा के विरूद्ध मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-92 अन्तर्गत गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।

इसके अलावा जनपद पंचायत पुनासा अन्तर्गत ग्राम पंचायत बडनगररैयत में वर्ष 2012-13 में स्वीकृत भवन निर्माण कार्य नही कराने के कारण ग्राम पंचायत बडनगररैयत के तत्कालीन सरपं पटेल के विरूद्ध म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 अन 27.03.2024 को राशि रु. 183561/- का वसूली आदेश पारित किया गया था, लेकिन वसूली राशि जमा नही करायी गयी है। अत: तत्कालीन सरपंच हरेराम पटेल बडनगररैयत जनपद पंचायत पुनासा के विरूद्ध मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा-92 अन्तर्गत गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।